

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258406  
SG-DL-E-01112024-258406असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2024/कार्तिक 10, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 239
No. 275]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2024/KARTIKA 10, 1946	[N. C. T. D. No. 239

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIjktLo foHkx  
i kFkfed vfekl ipuk  
दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024

Ok- l a 1k1%@fofo/k@, y, l h@2023@2642-51.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2740 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2014 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उपयुक्त सरकार होने के नाते ऐसा उचित समझते हैं कि खानपुर गांव, नई दिल्ली में मेट्रो वियाडक्ट और फ्लाईओवर के निर्माण के सार्वजनिक उद्देश्य हेतु जिला दक्षिण के उप-प्रभाग हौज खास के खानपुर गांव में कुल 1509.13 वर्ग मीटर (0.150913 हेक्टेयर) भूमि की आवश्यकता है। सामाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई0पी0 एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली द्वारा किया गया था और अंतिम सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन दिनांक 28.03.2022 को प्रस्तुत किया गया था।

सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन/प्राथमिक जांच का सारांश इस प्रकार है—

“सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का सारांश इस प्रकार है—सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूखंड न्यूनतम है और यह वैध और वास्तविक सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करेगा। यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ सामाजिक रूप से भी लाभकारी होगी। इस परियोजना से आधारभूत संरचना में न्यूनतम व्यवधान होगा और व्यक्तियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। उक्त परियोजना से पर्यावरण पर किसी भी रूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से कुल 36 भूमि मालिकों एवं 36 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। विस्तृत प्रतिवेदन एसआईए रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर पैरा 5.1 के सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन प्रतिवेदन में दी गई है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 43 के प्रावधान के अंतर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण राजस्व जिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला दक्षिण के उप-प्रभाग हौज खास के खानपुर गांव में उपरोक्त परियोजना के लिए अधिग्रहण के अंतर्गत भूखण्ड 1509.13 वर्ग मीटर (0.150913 हेक्टेयर) है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

vfekxg.k ds varxlr Hkife dk foofj.k

Ø- l-	l oãk.k l aã: k@ [kl.jk l aã: k	LokfeRo dk çdkj	Hkife dk çdkj	vf/kxg.k dk {k= %ct?kk&fcLok &fcl okuh%	fgrc) 0: fã: kã dk uke vkj irk	l hek, j				o{k		l jã puk, a	
						उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिथ क्षेत्र (बीघा-बिस्वा-बिसवानी)
1	94/1	निजी	कृषि *	0-6-15	अशोक कुमार, पुत्र बलबीर सिंह	94/2	122	99/1	93	शून्य	शून्य	दुकान	0-6-15
2	99/1	निजी	कृषि *	0-2-6	अशोक कुमार, पुत्र बलबीर सिंह	99/1	122	100/1	94/1	शून्य	शून्य	दुकान	0-2-6
3	100/1	निजी	कृषि *	0-8-12	सुखीराम पुत्र सिकंदर 1/20 हिस्सा  खुशीराम पुत्र सिकंदर 1/20 हिस्सा  शीशराम पुत्र सिकंदर 1/20 हिस्सा  वीर सिंह पुत्र सिकंदर 1/20 हिस्सा  महेंदर सिंह पुत्र हरि सिंह 1/20 हिस्सा  बलराम पुत्र हरनाथ 1/20 हिस्सा  देवी सिंह पुत्र हरनाथ 1/20 हिस्सा  शुमराम पुत्र हरनाथ 1/20 हिस्सा  कालीचरण पुत्र हरनाथ 1/20 हिस्सा  धीर सिंह पुत्र हरनाथ 1/20 हिस्सा  श्रीमती गैदो पत्नी भोला 1/4 हिस्सा  किशनलाल पुत्र हरकेश 9/328 हिस्सा	100/1	122	100/2	99/1	शून्य	शून्य	दुकान	0-8-12

					<p>मान सिंह पुत्र पोपा निवासी ग्राम-खानपुर 2/41 हिस्सा</p> <p>मोहर सिंह पुत्र पोपा निवासी ग्राम-खानपुर 2/41 हिस्सा</p> <p>गणेशी लाल पुत्र हरकेश 1/8 हिस्सा</p>								
4	100/2	निजी	कृषि *	0-4-0	<p>सुखबीर सिंह पुत्र देशराज, 1/12 हिस्सा</p> <p>किशन पुत्र टेकराम 1/12 हिस्सा</p> <p>लखमीचंद पुत्र टेकराम 1/12 हिस्सा</p> <p>चंदर सिंह पुत्र टेक राम 1/12 हिस्सा</p> <p>चरणसिंह पुत्र मुन्नूलाल 1/12 हिस्सा</p> <p>रूपनाथसिंह पुत्र मुन्नू लाल 1/12 हिस्सा</p> <p>रामकिशन पुत्र मुन्नू लाल 1/12 हिस्सा</p> <p>मेघनाथ पुत्र मुन्नू लाल 1/12 हिस्सा</p> <p>दुल्लीचंद पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा</p> <p>राजवीर सिंह पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा</p> <p>प्रीतम सिंह पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा</p> <p>धीरसिंह पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा</p> <p>हरजान सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र माखन सिंह 1/12 हिस्सा</p>	100/2	122	101	100/1	शून्य	शून्य	दुकान	0-4-0

					करतार सिंह पुत्र करण सिंह 1/12 हिस्सा  बलवीर सिंह पुत्र बीर नारायण 1/12 हिस्सा								
5	102/1	निजी	कृषि *	0-4-14	सुखबीर सिंह पुत्र देशराज, 1/12 हिस्सा  किशन पुत्र टेकराम 1/12 हिस्सा  लखमीचंद पुत्र टेकराम 1/12 हिस्सा  चंदर सिंह पुत्र टेक राम 1/12 हिस्सा  चरणसिंह पुत्र मुन्लाल 1/12 हिस्सा  रूपनाथसिंह पुत्र मुन् लाल 1/12 हिस्सा  रामकिशन पुत्र मुन् लाल 1/12 हिस्सा  मेघनाथ पुत्र मुन् लाल 1/12 हिस्सा  दुल्लीचंद पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा  राजवीर सिंह पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा  प्रीतम सिंह पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा  धीरसिंह पुत्र हीरालाल उर्फ सुलेख 1/48 हिस्सा  हरज्ञान सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र माखन सिंह 1/12 हिस्सा  करतार सिंह पुत्र करण सिंह 1/12 हिस्सा  बलवीर सिंह पुत्र बीर नारायण	102/1	122	102/2	101	शून्य	शून्य	दुकान	0-4-14

6	102/2	निजी	कृषि *	0-9-9	1/12 हिस्सा श्रीराम पुत्र बहादुर 1/6 हिस्सा हरि राम पुत्र बहादुर 1/6 हिस्सा गिरधारी लाल पुत्र बहादुर 1/6 हिस्सा भागवत पुत्र बलवंता 1/4 हिस्सा जगदीश पुत्र बलवंता 1/4 हिस्सा	102/2	122	110	102/1	शून्य	शून्य	दुकान	0-9-9
---	-------	------	-----------	-------	--	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

\*राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषि भूमि

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत उन सभी के लिए बनाई गई है, जिनसे यह संबंधित हो सकती है।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की योजना तथा अन्य विवरणों का निरीक्षण कार्यालय जिला कलेक्टर, जिला (दक्षिण), राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और कार्यालय, सीपीएम-6 (सिविल) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में किसी भी कार्य दिवस पर कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।

सरकार एतद्वारा जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) और उनके कर्मचारियों को उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित भूमि पर अपना स्वामित्व रखने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि का स्तर लेने, भूमिगत खुदाई या छेद करने तथा समस्त अन्य कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि का कोई भी लेनदेन या भूमि के किसी लेनदेन का कारण अर्थात् बिक्री/खरीद आदि अथवा ऐसी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा।

अधिग्रहण पर आपत्ति, यदि कोई हो, तो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर इच्छुक व्यक्ति द्वारा कलेक्टर के समक्ष दर्ज की जा सकती है।

यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य हेतु आवश्यक है तो अंतिम अधिसूचना यथा समय दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मेकला चैतन्य प्रसाद, आईएएस भूमि अधिग्रहण कलेक्टर

## REVENUE DEPARTMENT

### PRELIMINARY NOTIFICATION

Delhi, the 30th October, 2024

**F. No: F.1(1)/MICS/LAC/2023/2642-51.**—In the exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O 2740 (E) dated 21<sup>st</sup> October, 2014, read with S.O. 2014 (E) dated 21.07.2015, it appears to Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being the appropriate Government that in total 1509.13 Sq. Mtr. (0.150913 hectare) land is required in the Khanpur Village of Sub Division Hauz Khas in District South for public purpose for construction of Metro viaduct and Flyover at Khanpur Village, New Delhi. The Social Impact Assessment Study was carried out by Indian Institute of Public Administration, IP Estate, Ring Road, New Delhi and final SIA report was submitted on 28-03-2022.

The summary of the Social Impact Assessment Report/preliminary investigation is as follows.

“As per the Social Impact Assessment Report, the proposed parcel of land for acquisition is bare minimum and will serve legitimate and bonafide public purpose. The project will serve public purpose and also be beneficial socially. The project shall have minimum disturbance to the infrastructure and minimum impact on the individuals. There is no adverse impact on the environment from the project in question.”

The total number of 36 land owners and 36 families are likely to be effected due to proposed acquisition of land. The detailed report is given in the Social Impact Assessment study report in Para 5.1 at page No. 61 of S.I.A report.

The Additional District Magistrate, South Revenue District, Government of National Capital Territory of Delhi is appointed as Administrator under the provision of Section 43 of RFCTLARR Act, 2013 for purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore it is notified that for the above said project in the Khanpur Village of Sub Division Hauz Khas in District South, a piece of land under acquisition measuring 1509.13 Sq. Mtr. (0.150913 hectare) whose detailed description is as follows:-

#### Details of land under acquisition

S.NO.	Survey No./ Khasra No.	Type of title	Type of land	Area under acquisition (Bigha-Biswa-Biswani)	Name & Address of persons interested	Boundaries				Trees		Structures	
						N	S	E	W	Variety	Number	Type	Plinth Area (Bigha-Biswa-Biswani)
1	94/1	Private	Agriculture *	0-6-15	Ashok Kumar, S/o Balbir Singh	94/2	122	99/1	93	Nil	Nil	Shop	0-6-15
2	99/1	Private	Agriculture *	0-2-6	Ashok Kumar, S/o Balbir Singh	99/1	122	100/1	94/1	Nil	Nil	Shop	0-2-6
3	100/1	Private	Agriculture	0-8-12	Sukhiram S/o Sikandar 1/20 Share KhushiRam S/oSikandar 1/20 Share Sheeshram S/o Sikandar 1/20 Share Veer Singh S/o Sikandar 1/20 Share Mahendar Singh S/o Hari Singh 1/20 Share Balram S/o Harnath 1/20 Share Devi Singh S/o Harnath 1/20 Share Shubhram S/o Harnath 1/20 Share Kalicharan S/o Harnath 1/20 Share Dheer Singh S/o Harnath	100/1	122	100/2	99/1	Nil	Nil	Shop	0-8-12

					1/20 Share Smt Gaindo Wd/o Bholu 1/4 Share Kishanlal S/o Harkesh 9/328 Share Man Singh S/o Popa R/o Vill- Khanpur 2/41 Share Mohar Singh S/o Popa R/o Vill- Khanpur 2/41 Share Ganeshi Lal S/o Harkesh 1/8 Share								
4	100/2	Private	Agricultur e*	0-4-0	Sukhbir Singh S/o Deshraj, 1/12 Share Kishan S/o Tekram 1/12 Share Lakhmichand S/o Tekram 1/12 Share Chander Singh S/o Tekram 1/12 Share Charan Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share Rupnath Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share Ramkishan S/o Munnu Lal 1/12 Share Meghnath S/o Munnu Lal 1/12 Share Dulli Chand S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share Rajvir Singh S/o Hira Lal @ sulekh	100/2	122	101	100/1	Nil	Nil	Shop	0-4-0

					1/48 Share Pritam Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share Dheer Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share Hargyan Singh S/o Pratap Singh S/o Makhan Singh 1/12 Share Kartar Singh S/o Karan Singh 1/12 Share Balvir Singh S/o Bir Narayan 1/12 Share								
5	102/1	Private	Agricultur e*	0-4-14	Sukhbir Singh S/o Deshraj, 1/12 Share Kishan S/o Tekram 1/12 Share Lakhmichan d S/o Tekram 1/12 Share Chander Singh S/o Tek Ram 1/12 Share Charan Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share Rupnath Singh S/o Munnu Lal 1/12 Share Ramkishan S/o Munnu Lal 1/12 Share Meghnath S/o Munnu Lal 1/12 Share Dulli Chand S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share	102/1	122	102/ 2	101	Nil	Nil	Shop	0-4-14

					Rajvir Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share Pritam Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share Dheer Singh S/o Hira Lal @ sulekh 1/48 Share Hargyan Singh S/o Pratap Singh S/o Makhhan Singh 1/12 Share Kartar Singh S/o Karan Singh 1/12 Share Balvir Singh S/o Bir Narayan 1/12 Share									
6	102/2	Private	Agricultur e*	0-9-9	Shriram S/o Bahadur 1/6 Share Hari Ram S/o Bahadur 1/6 Share  Girdhari Lal S/o Bahadur 1/6 Share Bhagwat S/o Balwanta 1/4 Share Jagdish S/o Balwanta 1/4 Share	102/2	122	110	102/1	Nil	Nil	Shop	0-9-9	

\*Agriculture land as per the revenue records.

This notification is made under the provisions of section 11 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) to all whom it may concern.

The Plan and other details of the land to be acquired can be inspected by the interested person in the office of the District Collector District (South) Revenue Department, Government of NCT of Delhi and Office of the CPM-6 (Civil) Delhi Metro Rail Corporation, on any working day during the working hours.

The Government is pleased to authorize District Magistrate / Additional District Magistrate (South) and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase etc. or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the collector.

Objection to the acquisition, if any may be filed by the person interested within 60 (Sixty) days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector.

If the Government of National Capital Territory of Delhi is satisfied that the land is needed for public purpose, a final Notification will be published in the Delhi Gazette in due course.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

MEKALA CHAITANYA PRASAD, IAS, Land Acquisition Collector